5 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(67)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण कमांक /2016-17 निगरानी 4116-PBR/16

तारा सिंह - निगरानीकर्ता

बनाम

बाबू सिंह आदि - अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र शीघ्र सुनवाई हेतु

श्रीमानजी,

प्रार्थी का आवेदन पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है -:

1. यहकि प्रार्थी ने माननीय न्यायालय में एक निगरानी प्रस्तुत कर दी है जो कानूनन स्वीकार किये जाने योग्य है।
2. यहकि अधीनस्थ न्यायालय एस डी ओ महोदय डबरा प्रश्नाधीन अपील को अतिशीघ्र निराकृत करने जा रहे है जिसे रोकने हेतु प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 52 मय शपथ पत्र एम पी एल आर सी प्रस्तुत कर दिया है जिसे स्वीकार होने की पूर्ण आशा है इस कारण प्रकरण को शीघ्र सुनवाई मे लिया जाना न्यायोचित है क्योकि बिलंब की दशा मे एस डी ओ महोदय अपील का अंतिम निराकरण कर देगे जिससे प्रार्थी की निगरानी व्यर्थ हो जावेगी।

अतः निवेदन है कि निगरानी आज ही सुनवाई मे लिये जाने की कृपा करें।

दिनांक 2/12/16

अपीलांट

तारासिंह पुत्र ध्रुवसिंह निवासी गंगापुर बिलौआ तहसील डबरा जिला ग्वालियर म.प्र.

द्वारा अभिभाषक आर एस भटनागर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4116–पीबीआर/16 जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8–12–2016	आवेदक की ओर से श्री आर0एस0 भटनागर, अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 25–11–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब माफ करने में बोलता हुआ आदेश पारित नहीं कर, अति संक्षिप्त आदेश पारित किया गया है, जो कि उचित कार्यवाही नहीं है । अतः अनुविभागीय अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बोलता हुआ सकारण आदेश पारित करें । उपरोक्त निर्देशों के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	